**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 2672/2026

Satyanarayan @ Sattu S/o Ramesh Chand, R/o Bekri Wali Gali, Prem Nagar-Second, Police Station Udhyog Nagar, District Kota City (Raj.) (At Present In Central Jail, Kota.)

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Jagdish Singh Chauhan |
| For Respondent(s) | : | Mr. Sudarshan Kumar Laddha |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR**

**Order**

**23/02/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– उद्योग नगर(कोटा शहर), जिला– कोटा शहर में दर्ज प्रथम सू. चना रिपोर्ट संख्या– 545/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत का आवेदन इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2025 को अस्वीकार किया गया था। तदुपरांत प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा द्वितीय जमानत का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वह जमानत आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने संबंधित न्यायालय में याचिका प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। तदुपरांत प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुख्य चक्षुदर्शी साक्षी पीडब्ल्यू–1 मोहित जैन व पीडब्ल्यू–4 सीमा जैन के विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हुए बयानों के उपरांत उक्त जमानत याचिका प्रस्तुत की गई

है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में पीडब्ल्यू–1 मोहित जैन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उल्लेखित नहीं है। पीडब्ल्यू–1 मोहित जैन ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 में घटना के बारे में उसने सारी बातें लिख दी थीं और प्रदर्श पी–1 में तीन व्यक्तियों द्वारा मारपीट करना नहीं लिखा है और न ही सत्यनारायण द्वारा मारपीट करना लिखा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी बताया है कि तीसरे व्यक्ति का नाम बाद में पता चला था और उस व्यक्ति से पुलिस ने शिनाख्त नहीं कराई गई थी और उस तीसरे व्यक्ति का नाम पुलिस सर ने बताया था और पुलिस सर के नाम बताने पर ही मैंने तीसरे व्यक्ति का नाम बताया। इसी प्रकार पीडब्ल्यू–4 सीमा जैन ने भी अपने बयानों में यह बताया है कि उसके बयान घटना के तीन माह उपरांत लेखबद्ध हुए थे। अतः उक्त साक्षी के कथन साक्षिक विश्वसनियता नहीं रखते हैं। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू–5 दिनेश जैन द्वारा मात्र सुनी सुनाई बातों के आधार पर अनिश्चित साक्ष्य के रूप में कथन करना उल्लेखित किया है और उसने अपने मुख्य परीक्षण में यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त सत्यनारायण उर्फ सत्तू द्वारा उसके भाई के साथ मारपीट करना बताया है, परंतु उक्त साक्षी के कथन भी मात्र मोहित जैन के कहने पर लिखाया जाना उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त सत्यनारायण के संदर्भ में अन्य कोई सारभूत साक्ष्य इस तथ्य के संदर्भ में नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर मृतक की हत्या करते समय देखा गया हो। प्रार्थी/अभियुक्त लगभग 18 वर्ष से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को तृतीय जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रकरण में पीडब्ल्यू–4 सीमा जैन ने स्पष्टः अपने मुख्य परीक्षण के प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त के साथ अन्य सहअभियुक्तगण के नाम उसके पति के साथ मारपीट करने वालों के संदर्भ में

उल्लेखित किया है यदि पुलिस द्वारा उक्त साक्षी के कथन विलंब से लिए गए हैं उसके आधार पर उक्त साक्षी की साक्षिक विश्वसनीयता पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मोहित जैन द्वारा दो अन्य नामजद व्यक्तियों के अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति के द्वारा मारपीट करना बताया है और अनुसंधान में वह व्यक्ति प्रार्थी/अभियुक्त प्रकट हुआ है। इस संदर्भ में पीडब्ल्यू–4 सीमा जैन की साक्ष्य अभिलेख पर है। विद्वान अधिव. क्ता का यह भी तर्क है कि इसी दिन एक अन्य घटना मजरूबा ललिता शर्मा द्वारा पंजीबद्ध कराई गई थी जिसमें भी मौके पर प्रार्थी/अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्त के साथ उपस्थिति दर्शित की गई थी। प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है और पूर्व में भी उसके विरुद्ध सात प्रकरण विभिनन पुलिस थानों में पंजीबद्ध हो चुके हैं। प्रकरण मृतक की हत्या से संबंधित है। अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुणों के आधार पर प्रथम जमानत आवेदन अस्वीकार किया गया था। तदुपरांत प्रकरण में मुख्य साक्षीगण मोहित जैन व सीमा जैन के कथन न्यायालय ने विचारण के प्रक्रम पर लेखबद्ध हो चुके हैं। इस प्रक्रम पर प्रकरण में साक्षीगण की साक्षिक मूल्यता का विवेचन किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। वस्तुस्थिति यही है कि साक्षी सीमा जैन ने प्रार्थी/अभियुक्त का घटना स्थल पर उपस्थित होना बताया है। अतः इस प्रक्रम पर यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का तृतीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सत्यनारायण उर्फ सत्तू पुत्र रमेशचन्द** की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /7